भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2978

जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

रायगड में जल निकायों का लवणीकरण

2978. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के रायगड जिले के कुछ क्षेत्रों में टूटे हुए बांधों के कारण तट और खाडियों के साथ लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि लवणयुक्त हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप फसल की पैदावार में भारी गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों में भूजल लवणता के कारण सिंचाई के लिए अनुपयुक्त हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जल निकायों में लवणता को कम करने के लिए रायगड जिले में टूटे हुए बांधों को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): बांधों के निर्माण और रखरखाव सहित जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और रखरखाव से संबंधित कार्य राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत सरकार की भूमिका उनके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने और कुछ मामलों में मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है। तथापि, इस मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने भू-जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर महाराष्ट्र राज्य सहित देश में भूमि जल गुणवत्ता आंकडे तैयार करता है।

महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि रायगढ़ जिले में 165 लवणीय तटबंध (खरलैंड बांध) हैं। इनमें से 72 योजनाओं का 15 वर्ष पहले ही नवीकरण कर दिया गया है। रायगढ़ जिला भारी वर्षा वाले और उच्च ज्वारीय क्षेत्र में आता है। मानसून के मौसम में भारी वर्षा और उच्च वसंत ज्वार (स्प्रिंग टाइड्स) के कारण यहाँ की पुरानी योजनाएं टूट गई और क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसलिए भारी वर्षा और उच्च ज्वार के दौरान इन योजनाओं के कार्य में बार-बार विघ्न उत्पन्न

होता है। लेकिन कृषि भूमि में खारे पानी को जाने से रोकने के लिए उपलब्ध राशि का उपयोग कर इन टूटे हुए खंडों की तत्काल आपातकालीन मरम्मत की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से कुल 50 भूजल नमूने एकत्र किए गए। इन नमूनों के रासायनिक विश्लेषण इंगित करता है कि रोहा ब्लॉक के दो नमूनों अर्थात सुकेली और दापोली, क्रमशः 3,864 और 19,200 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर की उच्च विद्युत चालकता (ईसी) को दर्शाते हैं जबकि, शेष 48 नमूनों में ईसी मान 1500 माइक्रोसीमेंस प्रति सेंटीमीटर से नीचे दर्ज किया गया।

इसके अतिरिक्त, सिंचाई के लिए भूजल की उपयुक्तता न केवल ईसी पर निर्भर करती है बल्कि सोडियम की प्रतिशतता, सोडियम अवशोषण मूल्यों, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, मृदा के प्रकार और फसल प्रबंधन पद्धतियों पर भी निर्भर करती है।

(ग): लवणीय (खारलैंड) बांधों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अल्पकालिक उपाय के रूप में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उन स्थानों पर कार्य किए जाते हैं जहां भारी वर्षा और वसंत ज्वार (स्प्रिंग टाइड्स) के कारण बंधों को क्षति होती है। दीर्घावधिक उपायों के रूप में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लवणीय (खारलैंड) बांधों का नवीकरण कार्य शुरू किया गया है। इस संबंध में हाल ही में किए गए कार्यकलाप इस प्रकार हैं।

(i) महाराष्ट्र राज्य निधि के माध्यम से, वर्ष 2023-24 में 5 योजनाओं (कलाई, बुर्डी, जमरुतखर, टोकेखर और वारथी) का नवीनीकरण किया गया है जिसके परिणामस्वरूप 171 हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हुआ है। 1,345 हेक्टेयर भूमि (वाधव बोरज़े, मनकुले सोनकोठा हशिवरे, वेव पोटेज, शेनवाई पहल, बनुमैरियम, कंडलवाड़ा, कुडगांव हार्वित और खरगांव बुद्रुक) की संरक्षा के लिए 8 योजनाएं चल रही हैं।

(ii) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन कार्यक्रम (एनसीआरएमपी) के तहत, दो लवणीय (खरलैंड) योजनाओं (नरवेल बेनावाले और कचली पिटकरी) का नवीनीकरण कार्य मार्च, 2024 में पूरा हो गया है। इन दोनों योजनाओं के कारण कुल 1,722 हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षित किया गया है।

(iii) महाराष्ट्र राज्य निधि के माध्यम से, वर्ष 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1,728 हेक्टेयर भूमि (शाहबाज, धकटपाड़ा शहापुर, मनोरंजन, वालके सतीर्डे, करंजवीरा और महादेवखर म्हालुंगे) की संरक्षा के लिए 6 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण आपदा शमन (कोंकण पैकेज) कार्यक्रम के तहत 1,735 हेक्टेयर क्षेत्र की संरक्षा के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान 14 योजनाओं को मंजूरी दी है।

*****